न्यायालय श्रीमान रेवन्यू वोर्ड महोदय ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण निग./2016 निग 2934-II-16

श्री एम. एस. चौहान, अधि. द्वारा आज दि. 31-8-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 31-8-16

बालकदास पुत्र जयरामदास जाति वैरागी

निवासी रूसलाबुजर्ग तहसील नईसरांय

जिला अशोकनगर म0प्र0

----निगरानीकर्ता

एम एस चौहान 31/8/16

बनाम

अजुद्धीवाई वेवा कंगला जाति जाटव

निवासी रूसल्लाबुजुर्ग तहसील नईसरांय

जिला अशोकनगर म0प्र0

---प्रति निगरानीकर्ता

## || निगरानी ||

निगरानी अधीन धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

निगरानी विरूद्ध आदेश अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान तहसीलदार महोदय नईसरांय के प्रकरण क्रमांक 66अ12/15-16के आदेश दिनांक 2.6.16के विरूद्ध ।

माननीय महोदय

सेवा मे निगरानीकर्ता की और से निगरानी सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत है

बालकदास

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2934–दो / 16 जिला – अशोकनगर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 01–09–17 | आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नईसराय जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 66 / अ–12 / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 02–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सीमांकन पंचनामे से आवेदक का सीमांकन कार्यवाही प्रभावित होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(एस0एस0 अली)<br>सदस्य | |